

शिविर न्यायालय अंचल अधिकारी, मनेर

आदेश-पत्रक

(वेद्य अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

252

जिला..... पटना.....

केस का प्रकार- कैम्प दा० खा० वाद सं० 35 / 20 13 20 14

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
---------------------------	--------------------------------	---

शिविर न्यायालय ग्राम में आवेदक श्रीमती रत्न सिंघ
 पिता / पति श्री - अर्जुन सिंघ ग्राम पुरी कोटा रोड
 थाना धानापुर जिला पटना ने निम्नांकित जमीन का नामांकन हेतु
 आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे वसीका सं० 7397 दिनांक
18.03.10 द्वारा इन्होंने श्री जगत नारायण सिंघ वलद
 श्री जगत नारायण सिंघ ग्राम खगडी रोड धानापुर
 थाना धानापुर जिला पटना से कय किया है।

13/4/13

जमीन का विवरण

मौजा थाना सं० तौजी सं० खाता सं० खेसरा सं० रकबा लगान
सराय 102 - 335 105 1076/100

उपरोक्त जमीन के दाखिल-खारिज हेतु हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का अनुश्रवा प्राप्त है। जमीन पर आवेदक का दखल कब्जा है। कैम्प में उपस्थित सभी लोगों से पूछताछ किया गया। किसी ने कोई आपति प्रस्तुत नहीं किया।

अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन तथा दखल-कब्जा के आधार पर एक मात्र लगान वसूली के उद्देश्य से दाखिल-खारिज स्वीकृत किया जाता है। तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी,
मनेर

अंचल अधिकारी,
मनेर